150

[2018] 11 एस. सी. आर 150

/

[2018] 11 एस सी आर।

/

सी. आर. करियप्पा

बनाम

कर्नाटक राज्य

(2009 की आपराधिक अपील सं. 781)

/

05 सितंबर, 2018

[आर**.** भानुमति और इंदिरा बनर्जी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.325 और 326-स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना-तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी-विद्यालय के शिक्षक ने दूसरी कक्षा के छात्र पर लकड़ी की छड़ी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप बाईं आंख की दृष्टि चली गई-निचली विचारण न्यायालय द्वारा चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास के आधार पर बरी किया गया, छात्र को परीक्षा से पहले पढ़ाया जा रहा था और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को यू/एस दोषी ठहराया।326 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:घायल छात्र के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसे परीक्षा से पहले घटना के बारे में पढ़ाया गया था-उसे अदालत की कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया था क्योंकि वह उससे परिचित नहीं था-चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं था क्योंकि वे किसी अन्य छात्र के पिता के साक्ष्य द्वारा समर्थित थे-चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पूरे समय सुसंगत थे-हालाँकि, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अपीलार्थी द्वारा चलाई गई छड़ी एक खतरनाक हथियार थी, अपीलार्थी यू/एस।326 वारंट नहीं है-इस प्रकार, दोषसिद्धि को एक यू/एस में संशोधित किया गया है।325 और कारावास की सजा घटाकर एक साल कर दी गई-साक्ष्य।

/

/

/

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.1** पीडब्लू**-2** घायल**-**बाल गवाह के साक्ष्य ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि बचाव पक्ष के वकील द्वारा उसे दिए गए स्वीकार किए गए सुझाव कि उसे पढ़ाया गया था**,** वही पीडब्लू**-2** के साक्ष्य को त्यागने का कारण नहीं हो सकता है।जब घटना के कुछ समय बाद न्यायालय में पीडब्लू**-2** की जांच की गई**,** तो एक बाल गवाह **(**पीडब्लू**-2)** होने के नाते**,** जो न्यायालय की कार्यवाही से परिचित नहीं है**,** उसे न्यायालय की कार्यवाही के बारे में आवश्यक रूप से अवगत कराना होगा और उसे घटना के बारे में बोलना होगा।यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें अपीलार्थी के खिलाफ गवाही देने के लिए घटना के बारे में सिखाया गया था।**[**पैरा **9] [153-**बी**-**सी**]**

/

/

150 ए.

151

सी. आर. करियप्पा बनाम कर्नाटक राज्य ए.

1.2 पीडब्लू**-3** और पीडब्लू**-4** के साक्ष्य**,** जिनकी चश्मदीद गवाह के रूप में जांच की गई थी**,** के बीच की विरोधाभास पीडब्लू**-3** और पीडब्लू**-4** के संस्करण और उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता है**,** विशेष रूप से**,** जब उनके साक्ष्य का समर्थन पीडब्लू**-5** द्वारा किया जाता है**,** जो उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र के पिता हैं**,** जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू**-2** पर छड़ी से हमले के बारे में भी कहा है और कहा है कि पीडब्लू**-2** हाथों से अपनी आंख पकड़े बैठा है।**[**पैरा **10] [153-**डी**. ई.] 1.3** उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि पीडब्लू **3** से **5** के साक्ष्य पूरी तरह से सुसंगत रहे हैं।उनके साक्ष्य का समर्थन चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों के चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी किया जाता है।साक्ष्य की सराहना पर**,** उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को सही ढंग से उलट दिया और अपीलार्थी को दोषी ठहराया।**[**पैरा **11] [153-**एफ**]**

/

/

1.4 हालाँकि अपीलार्थी द्वारा चलाई गई छड़ी को एम**.** ओ**. 1** के रूप में चिह्नित किया गया है**,** लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा चलाई गई छड़ी एक खतरनाक हथियार थी।इस तरह के साक्ष्य के अभाव में**,** धारा **326** के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि वारंट नहीं हो सकती है**;** लेकिन अपराध के अंतर्गत आता है

/

भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **325, "**स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना"।द**.**

भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **326** के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **325** के अंतर्गत दोषसिद्धि में संशोधित किया गया है। सजा की मात्रा की बात करें तो यह घटना वर्ष **1996** की थी।समय के बीतने और तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए**,** कारावास की सजा को **Rs.50,000/-** के अतिरिक्त जुर्माने के साथ घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है।**[**पारस **12,13] [153-**जी**-**एच**;** **154-**ए**-**बी**]**

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2009 की आपराधिक अपील सं. 781।

/

2001 की आपराधिक अपील संख्या 814 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.05.2008 के निर्णय और आदेश से।

बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिरुद्ध संगनेरिया, चिनमय देश पांडे, गीत आहूजा, सुश्री रचिता हेरिमाथ, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

जोसेफ अरिस्टोटल एस., श्रीमती प्रिया अरिस्टोटल, शिवा पी., सुश्री अरुणा हन्ना दत्ता, सुश्री अनीता शेनॉय, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे. 1.यह अपील उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को उलट दिया है और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 के अंतर्गत दोषी ठहराया है और उसे दो साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है।2. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां रानी चेन्नम्मा स्कूल, होस्पेट में एक शिक्षक के रूप में काम करने वाले अपीलार्थी ने दूसरी कक्षा के छात्र पीडब्लू-2 पर वर्दी

के जूते नहीं पहनने के कारण लकड़ी की छड़ी से हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त छात्र की बाईं आंख में चोट लगी थी।घायल पीडब्लू-2 को होस्पेट के अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद हुबली के एम. एम. जोशी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पीडब्लू-2 की दो बार सर्जरी हुई थी।उपचार के बावजूद, पीडब्लू-2 की बाईं आंख की दृष्टि चली गई थी।पीडब्लू-2 के पिता पीडब्लू-1 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर विधि लागू किया गया था।

/

/

3. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर, विचारण विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को यह मानते हुए बरी कर दिया कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास हैं। पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4।विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि घायल बच्चे (पीडब्लू-2) को गवाह बॉक्स में जांच से पहले पढ़ाया गया था और इसलिए, बाल गवाह (पीडब्लू-2) का साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चश्मदीद गवाह। पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 पीडब्लू-1 से संबंधित हैं और प्राथमिकी दर्ज करने में 25 दिनों की देरी हुई थी और उन निष्कर्षों पर, निचली अदालत ने आरोपी-अपीलार्थी को बरी कर दिया।

/

/

4. उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को दरकिनार कर दिया और पैरा 1 में बताए अनुसार अपीलार्थी को दोषी ठहराया।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बसव प्रभु S.Patil और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जोसेफ अरस्तू एस. को सुना है।

/

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें निचली अदालत के निर्णय के माध्यम से लिया है और प्रस्तुत किया है कि निचली अदालत ने सही ढंग से ध्यान दिया है कि पीडब्लू-2 घायल बाल गवाह को पढ़ाया गया था और पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 का सबूत विरोधाभास से भरा हुआ है और निचली अदालत ने आरोपी को सही ढंग से बरी कर दिया है और जबकि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को उलटने में गलती की है।

/

7. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में 25 दिनों की अत्यधिक देरी को ए के लिए घातक माना गया था।

/

अभियोजन मामला।विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि जब निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष साक्ष्य के आधार पर एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था, तो उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश को उलटने में सही नहीं था।

8. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और कहा कि सबूतों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

/

9. पीडब्लू-2 घायल-बाल गवाह के साक्ष्य ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि बचाव पक्ष के वकील द्वारा उसे दिए गए स्वीकार किए गए सुझाव कि उसे पढ़ाया गया था, हमारे विचार में, यही पीडब्लू-2 के साक्ष्य को त्यागने का कारण नहीं हो सकता है।जब घटना के कुछ समय बाद न्यायालय में पीडब्लू-2 की जांच की गई, तो एक बाल गवाह (पीडब्लू-2) होने के नाते, जो न्यायालय की कार्यवाही से परिचित नहीं है, उसे न्यायालय की कार्यवाही के बारे में आवश्यक रूप से अवगत कराना होगा और उसे घटना के बारे में बोलना होगा।यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें अपीलार्थी के खिलाफ गवाही देने के लिए घटना के बारे में सिखाया गया था।

/

10. जहाँ तक पी. डब्ल्यू.-3 और पी. डब्ल्यू.-4 के साक्ष्यों के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया गया है, जिनकी चश्मदीद गवाहों के रूप में जांच की गई थी, जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा है कि वे विरोधाभास पी. डब्ल्यू.-3 और पी. डब्ल्यू.-4 के संस्करण और उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करते हैं, विशेष रूप से, जब उनके साक्ष्य का समर्थन पी. डब्ल्यू.-5 द्वारा किया जाता है, जो उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र के पिता हैं, जिन्होंने अपीलकर्ता द्वारा पी. डब्ल्यू.-2 पर छड़ी से हमले के बारे में भी कहा है और कहा है कि पी. डब्ल्यू.-2 हाथों से अपनी आंख पकड़े बैठे थे।

/

/

11. उच्च न्यायालय ने उचित ही अभिनिर्धारित किया है कि पीडब्लू 3 से 5 के साक्ष्य पूरी तरह से सुसंगत रहे हैं।उनके साक्ष्य का समर्थन होस्पेट के अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू-13 डॉक्टर गुरुप्रसाद के चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी किया जाता है। पीडब्लू-14 (एच. नीलकंठ स्वामी)-बेल्लारी मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता और होस्पेट के सरकारी अस्पताल में पीडब्लू-16

(Dr.S.R. कोटेकर) चिकित्सा अधिकारी।साक्ष्य की सराहना पर, उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को सही ढंग से उलट दिया है और अपीलार्थी को दोषी ठहराया है।

/

12. विचार के लिए एकमात्र प्रश्न धारा 326 के अंतर्गत दोषसिद्धि की शुद्धता और अपराध की प्रकृति है।हालाँकि अपीलार्थी द्वारा चलाई गई छड़ी को एम. ओ. 1 के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा चलाई गई छड़ी एक खतरनाक हथियार थी।

/

13. इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, हमारे विचार में, धारा 326 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि वारंट नहीं हो सकती है; लेकिन अपराध

/

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 325 के अंतर्गत आएगा, "स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना"।

सजा की मात्रा की बात करें तो यह घटना वर्ष 1996 की थी।समय बीतने के साथ-साथ वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कारावास की सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है और अतिरिक्त जुर्माना Rs.50,000/- (पचास हजार रुपये) लगाया गया है।

/

14. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 325 के अंतर्गत दोषसिद्धि में संशोधित किया गया है। कारावास की सजा घटाकर एक वर्ष कर दी गई है।इसके अतिरिक्त Rs.50,000/- (पचास हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है।चूक में, अपीलार्थी को आगे तीन महीने के कारावास से गुजरना होगा। कारावास की सजा की अवधि, यदि कोई हो, अपीलार्थी पहले ही गुजर चुका है, तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा।

/

15. घायल पीडब्लू-2 को मुआवजे के रूप में Rs.50,000/- (पचास हजार रुपये) की जुर्माना राशि का भुगतान किया जाएगा।

16. अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/

17. अपीलार्थी आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करेगा जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी को शेष सजा काटने के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा।

/

निधि जैन

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/

/

/